पत्र सं0–7/स्थापना व्यय–आवंटन–12/2023 –...68(7)व............/

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, झारखण्ड।
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

/स्वा0,राँची,दिनांक :..01-01-2026.........

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 के व्यय हेतु स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ– 101–आयुर्वेद–03–ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल) के अन्तर्गत कुल ₹ 46,40,500/– (छियालीस लाख चालीस हजार पाँच सौ) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन Online आवंटन के विवरणी के अनुसार आवंटन संसूचित किया जाता हैः–

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या–20/2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ	101–आयुर्वेद – 03– ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल)	₹ 46,40,500/– (छियालीस लाख चालीस हजार पाँच सौ)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 1800 दिनांक 15.07.03 तथा 1681/वि0 दिनांक 10.06.2015 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिले के जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगें। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगें कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(अनन्त कुमार)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्त्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या– 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित विभाग के पत्र संख्या– 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि को जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी समानुपातिक रूप से उनके जिले के अन्तर्गत सभी केन्द्रों के लिए व्यय करेंगे।

13. क्रय संबंधी कार्य सभी नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

14. आयुष निदेशालय के द्वारा ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालयों से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के आलोक में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के COBT – Form 3A में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः COBT – Form 3A के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो Form 3A में सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

i) सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालयों के प्रभारी पदाधिकारी से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन की निकासी करेंगे।

ii) प्रत्येक माह का वेतन विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतनों की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

iii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Ghost Employee/अवैध रूप से नियुक्त कर्मी के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

iv) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

16. ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालयों के आवंटन के संबंध में सभी पत्राचार संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालयों के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा विभाग से इस विषय पर सीधे पत्राचार नहीं किया जायेगा।

68(7)ब
01-01-2026

(अनन्त कुमार)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ0पृ0उ0

17. प्रत्येक माह आवंटित राशि के विरूद्ध की गई निकासी की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

18. सभी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालयों का इस आवंटनादेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई निर्देशित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–12/2023 - 68(7)ब /स्वा0,राँची,दिनांक– 01-01-2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–12/2023 - 68(7)ब /स्वा0,राँची,दिनांक– 01-01-2026

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक आयुष, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 7/स्थापना व्यय–आवंटन–12/2023 - 68(7)ब /स्वा0,राँची,दिनांक– 01-01-2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0पृ0उ0

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्र0	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	34542000	4221500	38763500
2	कार्यालय व्यय	340000	160000	500000
3	किराया दर कर	110000	64000	174000
4	कार्यालय उपकरण	225000	50000	275000
5	आपूर्ति एवं सामग्री	450000	50000	500000
6	वर्दी	100000	95000	195000
	कुल	**35767000**	**4640500**	**40407500**

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100410103000101	4221500
2	कार्यालय व्यय	20S22100410103000315	160000
3	किराया दर कर	20S22100410103000316	64000
4	कार्यालय उपकरण	20S22100410103000317	50000
5	आपूर्ति एवं सामग्री	20S22100410103000323	50000
6	वर्दी	20S22100410103000334	95000
	कुल आवंटित राशि		**4640500**

कुल ₹ 46,40,500/– (छियालीस लाख चालीस हजार पाँच सौ)।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रम	जिला का नाम	वेतन	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	वर्दी	कुल
1	Deoghar	89000	0	0	0	0	0	89000
2	Dhanbad	227500	0	0	0	0	0	227500
3	Dumka	500500	0	0	0	0	0	500500
4	Godda	60500	0	0	0	0	50000	110500
5	Gumla	851000	40000	0	50000	15000	10000	966000
6	Jamtara	0	0	0	0	10000	0	10000
7	Koderma	115000	0	0	0	0	0	115000
8	Latehar	1250000	0	64000	0	0	15000	1329000
9	Ranchi	1000000	120000	0	0	25000	20000	1165000
10	Sahebganj	128000	0	0	0	0	0	128000
	Grand Total	**4221500**	**160000**	**64000**	**50000**	**50000**	**95000**	**4640500**

68(7)वि
01-01-2026

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 04 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां & 101 - आयुर्वेद & 03 - ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (आयुर्वेदिक अस्पताल)

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100410103000101	20S22100410103000315	20S22100410103000316	20S22100410103000317	20S22100410103000323	20S22100410103000334	Total
					वेतन	कार्यालय व्यय	कियायाए दरए कर	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	वर्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Deoghar	DGRMEDD61	Dr. Jagdish Singh	I/C Dist.Ayush M.O., Deoghar.	₹89,000.00 (81389)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹89,000.00
2	Dhanbad	DHNMED103	Dr. Kumkum	I/C Dist.Ayush Medical Off.Dhn	₹2,27,500.00 (81390)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹2,27,500.00
3	Dumka	DMKMED080	Makarand Kumar Mishra	D.A.M.O.Dumka	₹5,00,500.00 (81391)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹5,00,500.00
4	Godda	GDDMED026	Intakhab Ahmad Farooqui	Dist. Ayu. Med. Officer, Godda	₹60,500.00 (81392)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹50,000.00 (81413)	₹1,10,500.00
5	Gumla	GMLMED023	Dr. Nirmala Sinha	Distt. Ayush Medical Officer	₹8,51,000.00 (81394)	₹40,000.00 (81403)	₹0.00	₹50,000.00 (81407)	₹15,000.00 (81408)	₹10,000.00 (81414)	₹9,66,000.00
6	Koderma	KODMEDA61	Dr Prabhat Kumar	Dist Ayush Medical Officer,Kdm	₹1,15,000.00 (81395)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹1,15,000.00
7	Latehar	LTRMED091	Dr. Om Prakash	D.A.M.O.Latehar	₹12,50,000.00 (81397)	₹0.00	₹64,000.00 (81406)	₹0.00	₹0.00	₹15,000.00 (81415)	₹13,29,000.00
8	Ranchi	RNCMED024	Saket Kumar	D.A.M.O Ranchi	₹10,00,000.00 (81398)	₹1,20,000.00 (81404)	₹0.00	₹0.00	₹25,000.00 (81410)	₹20,000.00 (81416)	₹11,65,000.00
9	Sahebganj	SBJMED004	Alok Chandra Shrivastava	Dist. Ayush Med.Off.Sbg	₹1,28,000.00 (81399)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹1,28,000.00
10	Jamtara	JMTMED045	Dr.Awadh Nath Yadav.	Dist.Ayush Med.Officer,Jamtara	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹10,000.00 (81409)	₹0.00	₹10,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹46,40,500.00 (छयालीस लाख चालीस हजार पाँच सौ **) रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

68 (7) व
01-01-2026

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY